<u>न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), रामसनेहीघाट, कोर्ट सं०- 14, बाराबंकी</u>

मूलवाद सं०-230/1999

CNR No UPBB180000021999

शारदा प्रसाद सिंह बनाम रामसागर सिंह आदि

<u>10.09.2024</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष उपस्थित।

वादी/प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र क-362 मय शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त वाद में मूल प्रतिवादी सं० 1 एवं प्रतिवादी सं० 5 की मृत्यु दौरान मुकदमा हो जाने पर मृतक प्रतिवादीजन के वारिसान को दावा में कायम मुकाम अंकित किया गया परन्तु वादी के पूर्व अधिवक्ता महोदय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 जा०दी० ग-6 में आवश्यक संशोधन के सम्बंध में राय नहीं दी गयी। उक्त वाद दिनांक 05.08.2023 को प्रार्थना ग-6 के ौनिस्तारण हेतु नियत होने पर वादी के अधिवक्ता महोदय ने बहस हेतु पत्रावली की तैयारी की तो इस दौरान उक्त त्रुटि प्रकाश में आयी। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 जा०दी० ग-6 में संशोधन करने की अनुमति प्रदान करें।

प्रतिवादीगण की ओर से आपत्ति ग-366 प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि कायम मुकामी गलत व कानूनन नाकिस है। प्रार्थना पत्र लगभग 8 वर्षों बाद दाखिल किया गया है जो मियाद बाहर है। उक्त संशोधन से सम्बंधित तथ्य की जानकारी भी वादी पक्ष को प्रार्थना पत्र ग-6 दाखिल करने की तिथि से रही है। प्रार्थना पत्र बेजा विलम्ब करने की बदनियती से दाखिल किया गया है। प्रार्थना पत्र को इसके वर्तमान स्वरूप में दाखिल करने के बजाय दो भिन्न-भिन्न प्रार्थना पत्रों में दाखिल किया जाना चाहिए था। अतः उक्त कारणों से प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की कृपा करें।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

उक्त संशोधन से वाद की प्रकृति नहीं बदलती। प्रतिवादीगण को भी कोई तात्विक हानि नहीं है। जहां तक आपत्ति का प्रश्न है तो उसकी पूर्ति हर्जे से की जा सकती है। अतः प्रार्थना पत्र क-362 मु० 150/- रूपये हर्जे पर स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र क-362 मु० 150/- रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। हर्जा अदायगी उपरान्त संशोधन अन्दर 15 दिन करें।

पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 10.10.2024 को पेश हो।

(प्रीति भास्कर)

सिविल जज (जू०डि०),रामसनेहीघाट,

न्यायालय सं०-14, बाराबंकी।